

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-53/राजस्व/राहत/2013

नया रायपुर, दिनांक /08/2013

प्रति,

कलेक्टर

जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

विषय:-राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत अनुदान सहायता हेतु आबंटन वर्ष 2013-14

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 68/राहत/2013/5073 दिनांक 23.07.2013 ।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें । जिले में दैवीय विपत्तियों एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हित ग्राहियों को तत्काल आर्थिक अनुदान सहायता अनुदान राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से मांग संख्या-58, मुख्यशीर्ष-2245-दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत-के अर्न्तगत रूपये 60.00 लाख (रूपये साठ लाख मात्र) विभिन्न मुख्य/लघु शीर्षों के अर्न्तगत निम्न शर्तों के अधीन आबंटन सौपा जाता है :-

जिला	मांग संख्या-58, मुख्यशीर्ष	मांग संख्या-58, मुख्यशीर्ष	(राशि लाख में)
	-2245-02-बाढ़ चक्रवात आदि-101-निशुल्क सहायता-2018-नगददान-14 सहायक अनुदान-011-वैयक्तिक अनुदान	-2245-02-बाढ़ चक्रवात आदि-111-शोक संतप्त परिवारों को अदायगियां- 7352 शोकार्त परिवारों को सहायक अनुदान -14 सहायक अनुदान- 012-अन्य अनुदान	योग
राजनांदगांव	30.00	30.00	60.00
योग	30.00	30.00	60.00

- उपरोक्त आबंटन जिस मुख्य/लघु शीर्ष में दिया जा रहा है, आहरण/व्यय भी उसी मद के अर्न्तगत किया जावे ।
- उपरोक्त आबंटन का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जावे। व्यय की प्रत्याशा में एक मुश्त राशि आहरण किसी भी परिस्थिति में बिना शासन अनुमति के नहीं किया जावे।
- उक्त आबंटन के विरुद्ध किये गये आहरण एवं व्यय की जानकारी आगामी माह के 7 तारीख तक मासिक व्यय पत्रक एवं विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें ।
- उपरोक्त आबंटन का उपयोग 31.03.2014 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आबंटित राशि में से कोई राशि आहरण/व्यय हेतु शेष रहती है तो उस स्थिति में बचत राशि का समर्पण शासन को नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(चंद्रकोट उइके)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग



// 2 //

क्रमांक एफ 1-53/राजस्व/राहत/2013/794

नयारायपुर, दिनांक 5/08/2013

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर ।
 2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर ।
 3. संभागीय आयुक्त, रायपुर, संभाग, रायपुर छ.ग.
 4. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर ।
 5. जिला कोषालय अधिकारी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ।
 6. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर अपलोड हेतु ।
 7. लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर ।
 8. स्टाक फाईल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग